भर्ती समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग (छ०ग०)

/ / आवश्यक सूचना //

(स्टेनोग्राफर हिन्दी के प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण की सूचना)

अभ्यर्थी स्मृति ताम्रकार एवं अन्य 12 के द्वारा दिनांक 12-07-2023 को इस आशय की आपत्ति की गई है कि पूर्व में जो आपत्ति की गई थी उस पर पुनर्विचार कर स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों की भर्ती को प्रतियोगी परीक्षा या कौशल परीक्षा के माध्यम से सभी को समान अवसर प्रदान किया जावे।

दिनांक 17-06-2023 को अभ्यर्थी ईश्वर प्रसाद एवं अन्य 33 एवं भूषण लाल साहू के द्वारा लेख किया गया है कि प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आयोजित किया जावे ।

जिसका निराकरण इस प्रकार है कि इस स्थापना हेतु रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु जारी विज्ञापन के शीर्ष **चयन प्रक्रिया** की कंडिका क्रमांक 01 में उल्लेखित है कि स्टेनोग्राफर हिन्दी/अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर दसवीं, बारहवीं एवं स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 30 गुना परीक्षार्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा ।"

इस प्रकार रिक्त पदों हेतु 30 गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उक्ताश्य की छंटनी प्रक्रिया बनायी गई है और उसी के आधार पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में भी इसी आशय की आपत्ति की गई थी जो निरस्त किया जा चुका है और उक्त आपत्ति पर पुनर्विचार किया जाना संभव नहीं है । अतः उक्त दोनों आवेदन पत्र निराधार पाये जाने से **निरस्त** किया गया है ।

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (छ.ग.)